इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 30880 सन् 2025

तौसीफ ...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अनीस बेग

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री अनीस बेग, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री राजेश कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक **तौसीफ** की ओर से वाद अपराध संख्या 328 वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश गुण्डा एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3, थाना सहावर, जिला कासगंज, में विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में किसी अनुचित उद्देश्य से मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आपराधिक इतिहास के आठ मामलों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या संयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (b) में उल्लिखित किसी गिरोह की गतिविधियों में सहायता नहीं की है। उपरोक्त प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 13.06.2025 से जेल में निरुद्ध है, वचन देता है कि यदि जमानत दी

Translated Version, Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जाए तो वह उसकी छूट का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में प्रकरणों की भारी लंबितता के कारण विचारण के किसी शीघ्र समाप्ति की संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए प्रकरणों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य प्रकरण नहीं बताया है।

तथ्यों की समग्रता, अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत देने का उपयुक्त प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक, **तौसीफ**, को उपरोक्त वाद अपराध संख्या में व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियों पर, समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों को प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक (i) प्रकरण के प्रारंभ, (ii) आरोप-निर्धारण, और (iii) सीआरपीसी की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर विचार न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचनपत्र देगा कि साक्षियों की उपस्थिति में साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक विचार न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण तक सीमित है और किसी भी रूप में प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी। विचार न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सम्पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

06 जनवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।